

अग्रिम प्रति सीधे प्रेषित

सेवा में,

मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी,
सहकारी समितियाँ एवं पंचायतें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

द्वारा उचित माध्यम

विषय - निजी हित में मेरे गृह जनपद (वाराणसी) के निकट स्थानान्तरण के संबंध में प्रार्थना पत्र ।

महोदय,


उत्तर प्रदेश सरकार के शासनादेश संख्या 7/2021 संख्या-1/3/96-का-4-2021 दिनांक 15 जून, 2021 का संदर्भ ग्रहण करें जिसके द्वारा शासनादेश संख्या-3/2018/1/3/96/का-4-2018 दिनांक 29 मार्च 2018 में विहित प्रविधानों के अनुसार 15 जुलाई, 2021 तक सरकारी अधिकारी/कर्मचारी के स्थानान्तरण किए जा सकेंगे।

उत्तर प्रदेश सरकार के शासनादेश संख्या-3/2018/1/3/96/का-4-2018 दिनांक 29 मार्च, 2018 के बिन्दु 1(ग) के अनुसार "किसी अधिकारी/कर्मचारी के व्यक्तिगत कारण, जैसे-चिकित्सा या बच्चों की शिक्षा इत्यादि के आधार पर, स्थान रिक्त होने अथवा दूसरे अधिकारी/कर्मचारी के सहमत होने पर स्थानान्तरण/समायोजन किया जा सकेगा, बशर्ते की उस पर कोई प्रशासनिक आपत्तौ न हो।"

महोदय इस संबंध में आपको अवगत कराना है की प्रार्थी का गृह जनपद वाराणसी, उत्तर प्रदेश है, पिता का देहांत हो चुका है एवं माता वृद्ध अवस्था में Thyroid, arthritis एवं उच्च रक्तचाप जैसी बीमारियों से ग्रसित हैं। प्रार्थी की तैनाती वर्तमान में जनपद झाँसी, उत्तर प्रदेश में है जो की उसके गृह जनपद से बहुत दूर है, जिसके कारण अपने माता का सही देखभाल नहीं कर पा रहा है एवं अपने पारिवारिक दायित्वों का निर्वाह नहीं कर पा रहा है।

महोदय से अनुरोध है की प्रार्थी को अपने गृह जनपद के पास रिक्त प्रतापगढ़ जनपद में स्थानान्तरित करने की कृपा करें जिससे वो अपने राजकीय दायित्वों के साथ-साथ अपने पारिवारिक दायित्वों का भी पूर्ण रूप से निर्वाह कर सके।

प्रार्थी

 25/06/2021


विवेक कुमार सिंह

जिला लेखा परीक्षा अधिकारी
सहकारी समितियाँ एवं पंचायतें
झाँसी, उत्तर प्रदेश।

वायलियु
उप मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी
सहकारी समितियाँ एवं पंचायतें
झाँसी मण्डल - झाँसी

पत्रांक 115

मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी, सहकारी समितियाँ एवं पंचायतें लखनऊ की
सेवा में संस्तुति सहित अग्रसारित।


उप मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी
सहकारी समितियाँ एवं पंचायतें
झाँसी मण्डल - झाँसी